न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहनलाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

रामजीलाल पुत्र कल्लाराम जाति मीना निवासी ग्राम गुलाबपुरा थाना सपोटरा तहसील सपोटरा जिला करौली — अपीलाण्ट

बनाम

सरकार — रेस्पोण्डेण्ट

अपील आर्म्स एक्ट

निर्णय

दिनांक 16.03.2020

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली द्वारा दिनांक 27.05.2007 को गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारकों के शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त कर संबंधित थाने में जमा करवाये जाने के आदेश दिये गये थे। जिला पुलिस अधीक्षक करौली द्वारा अपने पत्र क्रमांक–2675 दिनांक 23.04.2010 द्वारा 26 शस्त्र अनुज्ञापत्रधारकों के शस्त्र अनुज्ञापत्रों को निलंबित रखते हुए शेष अनुज्ञापत्रधारकों के शस्त्र वापस लौटाने की अभिशंषा की थी। पुलिस अधीक्षक करौली के उक्त पत्र में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 9 पर अंकित है जिसके शस्त्र अनुज्ञापत्र को अपीलार्थी के विरुद्ध मुकदमा नंबर 43 / 2010 धारा 143, 452, 379, 436 आई.पी.सी. में दर्ज होने के कारण अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र निलंबित रखने की अभिशंषा की गई थी। इस कारण अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र निलंबित रखा जाकर शेष शस्त्र अनुज्ञापत्रधारकों के शस्त्र अनुज्ञापत्र बहाल कर दिये गये थे जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर में अपील दायर की गई जिसमें अपीलीय न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुना जाकर अपने निर्णय दिनांक 22.08.2019 को पत्रावली रिमाण्ड कर निर्देशित किया गया है कि अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुये आयुध अधिनियम के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में कानून एवं शांति व्यवस्था के औचित्य को दृष्टिगत रखते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावें।

पत्रावली दर्ज पंजिका कर अपीलार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील एडवोकेट ने बहस में कथन किया है कि अपीलार्थी के विरुद्ध जारी मुकदमा अभी न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें अपीलार्थी के पूर्णतः निर्दोष साबित होने की पूरी संभावना है। अतः अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र बहाल किया जाकर अपीलार्थी को उसका शस्त्र वापस दिलवाया जावे। अंत में शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल फरमाने का कथन किया है।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि अपीलार्थी के विरुद्ध मुकदमा संख्या 43 / 10 धारा 143, 452, 379, 436 आई.पी.सी. में दर्ज होने के कारण पुलिस अधीक्षक करौली की अभिशंषा पर अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र निलंबित रखा गया है। अपीलार्थी द्वारा उक्त मुकदमा के निर्णय की प्रति अभी भी न्यायालय में पेश नहीं की गई है। अतः अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया। गुर्जर आरक्षण आंदोलन में जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने बाबत् दिनांक 27.05.2007 को जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारकों के अनुज्ञापत्र

निलंबित किये जाकर शस्त्रों को संबंधित थाने में जमा करवाये जाने के आदेश पारित किये गये थे। अपीलार्थी के विरुद्ध मुकदमा संख्या 43 / 10 धारा 143, 452, 379, 436 आई.पी. सी. में दर्ज होने के कारण पुलिस अधीक्षक करौली की अभिशंषा पर अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र निलंबित रखा गया था। वर्तमान में भी एडवोकेट अपीलार्थी द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध उक्त मुकदमे का लंबित होना बताया गया है। अपीलार्थी द्वारा उक्त मुकदमे की निर्णय प्रति इस न्यायालय में पेश नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त किया जाना उचित समझते हैं।

अतः श्री रामजीलाल पुत्र कल्लाराम जाति मीना निवासी ग्राम गुलाबपुरा थाना सपोटरा तहसील सपोटरा जिला करौली को जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.06.04 14:05:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: